## न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 24/2020 निर्णय दिनांक :– 23.7.20

**उनवान**

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र केसरा जाति बलाई निवासी–आकोडिया तहसील चाकसू जिला जयुपर।

––वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

**<u>दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>**

वादी ने वादपत्र निम्न प्रकार पेश है किया कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी खसरा नंबर 71, 72, कुल किता 02 कुल रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम आकोडिया , तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है। ... का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार स्थित है ... अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपनी उप... उपयोग व उपभोग शांति पूर्वक करता चला आ रहा है। कि विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी में स्वंय वादी का नाम लक्ष्मण राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण राजस्व रिकार्ड में अंकित होना चाहिये था जबकि वादी का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, में लक्ष्मीनारायण अंकित हो रखा हे जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मीनारायण अंकित होना चाहिये था। जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वंय का नाम लक्ष्मण की जगह लक्ष्मीनारायण दुरूस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें, जिसका वादी कानूनन अधिकारी हैं वादी ने वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तब उसको बैंक में दिखाया तो दस्तावेजो व रिकार्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है बैंक वालों ने कहा कि पहले तुम तुम्हारा नाम दुरूरूत कराओ तब लोन देगें। इसके बाद वादी ने तहसीलदार साहब के समक्ष नाम दुरूस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार जी ने कहा कि समक्ष न्यायालय से नाम दुरूस्त करवाना होगा। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में स्वंय का नाम लक्ष्मण की जगह लक्ष्मीनारायण दुरूस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। जिस कारण वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

लिये वाद कारण तहसीलदार साहब के द्वारा नाम दुरूस्त करवाने के लिये सक्षम न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है । विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को प्राप्त है।वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 71, 72 कुल किता 02 कुल रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू, जिला जयपुर में वादी का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वो वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी ना स्वंय करे ना ही अपने अधीनस्थों से करावें। दावा वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया किन्तु प्रतिवादी बावजूद सूचना के न तो हाजीर आये न ही जवाब दावा पेश किये जाने यह प्रतिवादी के खिलाफ दावा नाम *दुरूस्ती का* होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस दावा वकील वादी की एक तरफा सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी का नाम लक्ष्मीनारायण है किन्तु सहबन से राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मण अंकित कर दिया गया जबकि राशन कार्ड, आधार [illegible] चुनाव पहचान पत्र, में लक्ष्मीनारायण है स[illegible] आकोडिया द्वारा भी वादी का नाम लक्ष्मीनारायण होने का प्रमाण [illegible]त्र जारी किया गया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समस्त दस्तावेजों के आधार पर दावा वादी डिकि फरमाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मीनारायण सही दर्ज करवाया जावें।

वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम आकोडिया की जमाबन्दी संम्वत 2071–74 खाता सं 250, सरपंच ग्राम पंचायत आकोडिया का प्रमाण पत्र 10.12.2019 आधार कार्ड, बैंक पास बुक, चुनाव पहचान पत्र, बतोर सबुत दस्तावेज पेश किये गये। वादी वकील की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेज व दावे का परीक्षण किया गया तो वादी का नाम चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैक पास बुक, एवं सरपंच ग्राम पंचायत आकोडिया के प्रमाण पत्र दिनांक 10.12.2019 अनुसार लक्ष्मीनारायण पुत्र केसरा है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में लक्ष्मण गलत अंकित कर रखा है। जिसे सरपंच प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दावा वादी स्वीकार कर दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकि किया जाकर विवादित आराजी खं0न0 71 रकबा 0.30 हे0 ख.नं.72 रकबा 0.76 है0 किता 2 रकबा 1.06 है वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू में वादी का नाम लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें, निर्णय अनुसार डिकि जारी हों। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू